



Sl. No. 115
Date 20 SEP 2022

प्रपत्र-ख
शपथ-पत्र

मैं, लक्ष्मी कुमारी पिता/पति मुकेश कुमार

उम्र 34 वर्ष, *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर मिट्टी के वार्ड संख्या 18

मोहल्ला गोला बांधा रोड, पोस्ट प्राधानी बस्ती, थाना नगर, जिला मुजफ्फरपुर

बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ:-

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर मिट्टी के

वार्ड संख्या 18 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा/रही हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर मिट्टी के वार्ड 18 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य

पार्षद पद के निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए अनर्हित नहीं हूँ;

कि संलग्न अनुसूचित में मेरे द्वारा ऑक्टिकी की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य है।

लक्ष्मी कुमारी

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

Advocate Shrivastava
20/9/22

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर - लक्ष्मी कुमारी

नाम- लक्ष्मी कुमारी

पता- गोला बांधा रोड, मुजफ्फरपुर

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर - लक्ष्मी कुमारी

नाम- लक्ष्मी कुमारी

पता- गोला बांधा रोड,
मुजफ्फरपुर

स्थान : मुजफ्फरपुर

दिनांक : 20/9/22

The Deponent identified by
Advocate has solemnly affirmed
before me that the contents of
the affidavit are true to the best

लगातार

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें। of his/her tenacity

नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक/ओथ कमिशनर के सुधारित विवर

AKHILESHWAR N. P.D. SINGH
NOTARY Muzaffarpur, Bihar

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर प्रत्येक अध्यर्थी द्वारा
शपथ-पत्र के साथ दी जाने वाली सूचनाओं का प्रपत्र

मुजफ्फरपुर जिला के *नगर निगम/*नगर-परिषद/*नगर पंचायत तारीख तिथि मुजफ्फरपुर
के वार्ड संख्या 18 से *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य प्रार्थद पद का निर्वाचन।

अध्यर्थी का नाम- लक्ष्मी कुमारी

स्त्री/पति का नाम- मुकेश कुमार जिसका नाम आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्थदण्ड से दंडित किये गये हैं- नहीं।

1. क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्थदण्ड से दंडित किये गये हैं:-
- (क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें:-

(i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये- १००%

(ii) दंडित किये जाने की तिथि एवं वाद संख्या- २००%

(iii) किये गये अपराध की प्रकृति-
(अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित) १००%

(iv) दिया गया दण्ड- १००%

(v) काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो- १००%

(vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि- १००%

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं? १००%

(i) अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण- १००%

(ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया- १००%

(iii) क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लंबित है- १००%

(iv) यदि निष्पादित है, तो

(क) निष्पादन की तिथि- १००%

(ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण- १००%

(v) क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया- १००%

(vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि- १००%

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge)

किये गये हैं, यदि हाँ तो निम्न विवरण दें-

(i) न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हैं- १००%

(ii) आरोप की प्रकृति एवं वाद संख्या- १००%

- क्या आप नामांकन दाखिल करने की तिथि के छः माह पूर्व देश के भीतर या बाहर से किसी लंबित त्रै में आरोपित हैं और उसमें आरोप तैयार कर लिया गया है अथवा साक्षम विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया है, जिसमें छः माह से न्याया की सज्जा हो सकती है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें:- नहीं
- अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है। संज्ञान लिया गया है- ३२-८
 - न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- ३२-८
 - अपराध संख्या ४५-८
 - आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- २५-८
 - उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- २२-८

3. क्या आपके विरुद्ध उक्त कोडिका (2) में वर्णित मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें- नहीं
- अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है। संज्ञान लिया गया है- ३२-८
 - न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- ३२-८
 - अपराध संख्या- २१-८
 - आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- १५-८
 - उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना २३-८
- पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण-
4. यदि कोई निर्वाचन संबंधित अपराध लंबित हो, तो पूर्ण विवरण- २१-८

5. अपनी परिसम्पत्ति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है:-
- (क) अचल सम्पत्ति:-
- कृषि भूमि :- २१-८
 - शहरी भूमि- २१-८
 - भवन- २१-८ का नाम (पांच के नाम पांच बीमात लागत दूःलागत)
- उपरोक्त की स्थिति, माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य दिया जाए।

- (ख) चल सम्पत्ति तथा उनकी वर्तमान कीमतः-
- (i) नकद 30,000
 - (ii) बैंक बैलेन्स- 1257.30/- (अनुच्छान)
(बैंक का प्रिंटआउट संलग्न करें।)
11652/- (पति)
 - (iii) फिक्स डिपोजिट
(प्रमाण-पत्र को छायाप्रति संलग्न करें।)
 - (iv) बॉण्ड, शेयर- 84816/- शेयर (पति)
(इसके प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें)
 - (v) वाहन
(निबंधन की छाया प्रति जिसका परिवहन
पदाधिकारी की मुहर के साथ संलग्न करें)
 - (vi) आभूषणों का विवरण 6 स ग्राम
(पूर्ण विवरण दें) किमत 1500/-

6. **(क) अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/
वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएं शुन्य (अनुच्छानी)
(प्रमाण-पत्रों के साथ)

(ख) अगर के.सी.सी. है तो उसके अद्यतन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति शुन्य

7. अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्कूल व कॉलेज

के नाम के साथ अंकित करें-
माध्यमिक - रा० कू० रमेशरावी अन्नवाल बालिका उच्चविद्यालय
उद्यतर माध्यमिक - रामवृद्ध बेनीपुरी उन्नीता वर्ष-2003, प्रधानमंत्री
स्नातक - रामवृद्ध बेनीपुरी महिला महाविद्यालय, वर्ष-2005 उन्नीता
में घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य हैं।

लक्ष्मी कुमारी

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

स्थान- मुज़ू

तिथि- 21/9/22

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

** वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आयकर/वेत्त्य टैक्स/प्रोपर्टी टैक्स/बिक्री कर संबंधी बकाया।

नोट :- सभी सम्पत्ति निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ "शून्य" अवश्य अंकित किया जाय।

सम्पत्ति खाली छोड़ देने अथवा (X) चिह्न अंकित करने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना छिपाने की चेष्टा की गई है और यह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।